

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)



क्रमांक/अका./2026/ 619

जबलपुर, दिनांक : 25/8 / 2026

अधिसूचना

सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक/64/244/आउशि/सम्बद्धता/2026, दिनांक 21/01/2026 के परिपालन में एवं माननीय कुलगुरु जी के अनुमोदन उपरांत म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर से स्थानांतरित महाविद्यालयों को सम्बद्धता की निरंतरता प्रदान करने हेतु रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के क्षेत्राधिकार में नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालयों (जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मण्डला एवं डिण्डौरी) को सत्र (2025-26) अस्थाई सम्बद्धता की निरंतरता प्राप्त करने हेतु म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल/केन्द्रीय राज्य निकाय की अनुमति के साथ विश्वविद्यालय में सम्पूर्ण जानकारी (आवश्यक प्रपत्रों) के साथ एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन एवं शुल्क जमा करने की तिथि निम्नानुसार रखी गई है, :-

सरल क्रमांक	समस्त नर्सिंग पाठ्यक्रम	तिथियां
01	B.Sc. Nursing, Post Basic Nursing, M.Sc. Nursing	दिनांक 25/08/2026 से 03/09/2026

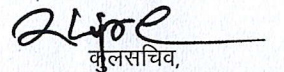
NOTE :-

(1) महाविद्यालय MP Online के माध्यम से आवेदन करने की तिथि के 02 दिवस के अन्दर निम्नांकित दस्तावेजों को सूची निरीक्षण प्रपत्र 'ए' सहित पृष्ठ क्रमांक अंकित करते हुए संस्था सचिव के सील एवं हस्ताक्षरित विश्वविद्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें :-

List of documents to be required for Continuation of Affiliation

1. Registration certificate of the Trust/Society.
2. Bye laws of the Trust/Society/Company showing objectives in the Byelaws of the Trust/Society to run the NCTE/AICTE/BCI/Higher Education/MPNRC/INC courses.
3. Minority Status Certificat (MSC) issued by competent authority (if applicable).
4. Affiliated/Parent Hospital Details.
5. Last Session Affiliation Letter issued by MPMSU Jabalpur.
6. Recognition Order/NOC/EOA from NCTE/AICTE/BCI/Higher Education/MPNRC/INC Programme(s) valid for the concerned period.
7. Order of NCTE/AICTE/BCI/Higher Education/MPNRC/INC if there is any change in the intake of Course after the first recognition order issued.
8. Revised recognition order, if issued by NCTE/AICTE/BCI/Higher Education/MPNRC/INC.
9. Withdrawal order issued by NCTE/AICTE/BCI/Higher Education/MPNRC/INC, if any.
10. Restoration/Continuation order issued by NCTE/AICTE/BCI/Higher Education MPNRC/INC, if any.
11. Faculty Approval letter from MPMSU Jabalpur.
12. Certified copy of registered land documents.
13. Mutation Certificate of land.
14. Permission of land use/land use certificate (CLU/DIVERSION) for educational purpose .
15. Non-encumbrance certificate.
16. Approved Complete Plan (Site plan of land and Building).

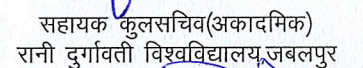
आदेशानुसार,


कुलसचिव,

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक : 25/8 / 2026

पृ० क्रमांक/अका./2026/ 619 "अ"
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय एवं अशासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों के प्राचार्यगण।
2. परीक्षा नियंत्रक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
3. प्रभारी आई.क्यू.ए.सी. सेल, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
4. जी.एस.टी. के संबंध में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव न्यायालयीन निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी।
5. विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण।
6. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर को इस अनुरोध के साथ कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।
7. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।


सहायक कुलसचिव(अकादमिक)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

